नैनीताल बैंक

शाखा - ए-78/79, सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, बनी पार्क, जयपुर-302016, जिला जयपुर राजस्थान फोन-0141-2281557

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता नैनीताल बैंक, ए-78/79, सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, बनी पार्क, जयपुर-302016, जिला जयपुर, राजस्थान शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है तथा सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल ऐसेट्स एण्ड, इनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (SARFAESI) एक्ट 2002 के सेक्शन 13(2) के नियम 3 के अधीन 60दिन की अवधि का डिमान्ड नोटिस निम्नलिखित ऋणियों तथा जमानतियों को जारी कर चुका है। यह कि ऋणी/जमानती ऋण का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) व रूल 8 एवं 9 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्ति का जो है जहां है जैसे है के आधार पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणियों/जमानतियों तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण जनता को सावधान किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें। सम्बन्धित लेन–देन दि नैनीताल बैंक लि0 के संबंधित ऋणियों/जमानतियों पर देय धनराशियों तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य सम्बन्धित खर्चे की सीमा तक बैंक प्रभार के अधीन होंगे। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–13 की उपधारा(8) के प्रावधान को आकर्षित किया जाता है।

(1) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. मैसर्स एनएसबी कंस्ट्रक्शन (प्रोपराईटरशिप/कर्जदार), द्वारा इसके प्रोपराईटर अर्चना सिंह, पंजीकृत पता – 18, नेमी नगर विस्तार, वैशाली नगर, जयपुर–302021 2. अर्चना सिंह पत्नी नागेन्द्र सिंह (प्रोपराईटर/कर्जदार), नि0 18, नेमी नगर एक्सटेंशन, वैशाली नगर, जयपुर–302021 दूसरा पता – बी–15, गंगा सागर बी, वैशाली पुलिस स्टेशन के पास, वैशाली नगर, राजस्थान–302021 3. नागेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब राम (जमानती) नि0 18, नेमी नगर एक्सटेंशन, वैशाली नगर, जयपुर–302021 दूसरा पता – बी–15, गंगा सागर बी, वैशाली पुलिस स्टेशन के पास, वैशाली नगर, राजस्थान–302021 4. महेन्द्र कुमार जैमीनी पुत्र जगन लाल जैमीनी (जमानती), नि0 36, गुलाब विहार, गांधी पाथ पश्चिमी, वैशाली नगर, पंचायवाला, जयपुर – 302034

(डिमान्ड नोटिस दिनांक 12.11.2021 को रु. 25,68,162.00 (रुपये पच्चीस लाख अड़सठ हजार एक सौ बासठ मात्र दिनांक 11.11.2021 तक) दिनांक 12.11.2021 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे जारी किया जा चुका है। घटाये वसूली यदि कोई हो। कब्जे की तिथि : 06.11.2023

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल रिहायशी सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि प्लॉट नं. 202, प्रेस्टीज गार्डन विस्तार स्कीम, ग्राम बिंदयाका, तहसील जयपुर में स्थित है। क्षेत्रफल 136.11 वर्ग यार्ड सम्पत्ति उप निबन्धक जयपुर–सप्तम के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 439, पेज नं. 12, क्रमांक 201703021109305 एवं अतिरिक्त बही नं. 1, जिल्द नं. 1754, पेज नं. 469 से 481, दिनांक 20.11.2017 को अर्चना सिंह पत्नी नागेन्द्र सिंह के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं – उत्तर में रिटेल कर्मिशियल, दक्षिण में 40 फीट चौड़ी रोड, पूरब में प्लॉट नं. 203, पश्चिम में प्लॉट नं. 201

(2) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. श्री भंवर अली पुत्र लाल मौहम्मद, नि0 प्लॉट नं. 7, शांति विहार, न्यू बस स्टैण्ड के पास, करोथ रोड, राजगढ़, अलवर, राजस्थान–301408 2. श्री अमित पंवार पुत्र भंवर अली, नि0 प्लॉट नं. 7, शांति विहार, न्यू बस स्टैण्ड के पास, कारोथ रोड, राजगढ़, अलवर, राजस्थान–301408

(डिमान्ड नोटिस दिनांक 15.12.2022 को रु. 23,73,524.00 (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार पांच सौ चौबीस मात्र दिनांक 14.12.2022 तक) दिनांक 15.12.2022 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे जारी किया जा चुका है। घटाये वसूली यदि कोई हो। कब्जे की तिथि : 06.11.2023

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल रिहायशी सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खसरा नं. 265 एवं 266, करोथ रोड, राजगढ़, अलवर, राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 201.65 वर्ग यार्डस/168.60 वर्ग मीटर। सम्पत्ति उप निबन्धक राजगढ़ के कार्यालय में बही नं. 01, जिल्द नं. 295, पेज नं. 17 से 17, क्रमांक 844 एवं प्रतिलिपी जो कि फाईल नं. 844, जिल्द नं. 301, पेज नं. 952 से 959 दिनांक 29.04.2011 को भंवर अली पुत्र लाल मौहम्मद, नि0 प्लॉट नं. 7, शांति विहार, करोथ रोड, राजगढ़, अलवर राजस्थान के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं – उत्तर में राम प्रसाद सैनी की भूमि, दक्षिण में 30 फीट चौड़ी रोड, पूरब में राजेश कुमार की भूमि, पश्चिम में कैलाश गुप्ता की भूमि।

(3) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. मैसर्स कुल्हारी कन्सट्रक्शन कम्पनी (कर्जदार), पंजीकृत पता : बी–7, अपोलो अपार्टमेंट, सेक्टर 3, विद्याधर नगर जयपुर 302023 द्वारा इसके पार्टनर अनिल कुमार कुल्हारी, सुनील कुमार कुल्हारी एवं नरेश चौधरी। 2. श्री अनिल कुमार कुल्हारी पुत्र स्व. देव करण सिंह (पार्टनर/कर्जदार), बी–7, अपोलो अपार्टमेंट, सेक्टर 3, विद्याधर नगर, जयपुर 302023 3. श्री सुनील कुमार कुल्हारी पुत्र स्व. देव करण सिंह (पार्टनर/कर्जदार), बी–7, अपोलो अपार्टमेंट, सेक्टर 3, विद्याधर नगर, जयपुर 302023 दूसरा पता : सी–5, अपोलो अपार्टमेंट, नैशनल हैण्डलूम, सेक्टर–3, विद्याधर नगर, जयपुर–302039 तीसरा पता : ग्राम हीरापुरा, पंचायत समिति मालसिसार, तहसील एवं जिला झुनझुनु–331027 4. श्री नरेश चौधरी पुत्र नरेन्द्र सिंह (पार्टनर/कर्जदार), के 2/5, एलआईसी फ्लैट्स, सेक्टर 06 विद्याधर नगर, जयपुर 302023, दूसरा पताः बस घासी राम, अलसिसार, झुनझुनु–331025 5. श्री सुधीर सिंह पुत्र स्व. देव करण सिंह (जमानती), हरिपुरा, झुनझुनु–333001 दूसरा पताः रोड नं. 01, स्टेशन रोड, गांधी चौक नगर, जी बी मोदी विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, झुनझुनु 333001, तीसरा पता : ग्राम हीरापुरा पंचायत समिति, मालसिसार, तहसील एवं जिला झुनझुनु–331027 6. श्री निर्मल सिंह पुत्र फूल सिंह (जमानती), अब मृतक एवं उनके प्रतिनिधि : श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी निर्मल सिंह, बी–87, इन्द्रा नगर, झुनझुनु–331027, दूसरा पता : 50/2, हरिपुरा, तहसील झुनझुनु, जिला झुनझुनु, राजस्थान। 7. श्री राजिन्दर कुमार पुत्र नौरंगा सिंह रिहायशी 51, नन्द पुरी कॉलोनी, 22 गोदाम, जयपुर–302006 दूसरा पता–ए–171, सालिग्रामपुरा योजना, जयपुर 302020 8. श्री राजेश चन्द पुत्र नरेन्द्र सिंह (जमानती) फ्लैट नं. के ।। 5, एलआईसी फ्लैट, सेक्टर 6, विद्याधर नगर, जयपुर–302023 9. श्रीमती सरित देवी पत्नी प्रताप सिंह (जमानती), बी–7, अपोलो अपार्टमेंट, सेक्टर–3, विद्याधर नगर, जयपुर–302023

(डिमान्ड नोटिस दिनांक 24.05.2023 को रु. 95,79,927.00 (रुपये पिचानवे लाख उनासी हजार नौ सौ सताईस मात्र दिनांक 24.05.2023 तक) दिनांक 25.05.2023 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे जारी किया जा चुका है। घटाये वसूली यदि कोई हो। कब्जे की तिथि : 07.11.2023

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : 1. बंधक अचल रिहायशी सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि ग्राम हरिपुरा, तहसील एवं जिला झुनझुनु में स्थित है। क्षेत्रफल 2000 वर्ग यार्ड। सम्पत्ति पट्टा नं. 03 दिनांक 10.01.2007 के द्वारा ग्राम पंचायत ने श्री सुनील कुमार पुत्र श्री देवकरण के नाम पर दर्ज किया है। सम्पत्ति उप निबन्धक मालसिसार, जिला झुनझुनु के कार्यालय में बही नं. 01, जिल्द नं. 62, पेज नं. 119, क्रमांक 327 एवं प्रतिलिपि जो कि बही नं. 01, जिल्द नं. 119, पेज नं. 214–216, क्रमांक 327 दिनांक 12.04.2007 को दर्ज है। सीमाऐं – उत्तर में आम चौक, पश्चिम में आम चौक, पूरब में फूल सिंह का घर, दक्षिण में भोला राम का घर।
2. बंधक अचल रिहायशी सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि फ्लैट नं. 5 बी,प्रथम तल, के–।। ब्लॉक, सेक्टर–06 जीवन छाया, विद्याधर नगर, एलआईसी फ्लैट्स, जयपुर में स्थित है। सम्पत्ति उप निबन्धक जयपुर–।। के कार्यालय में बही नं. 01, खण्ड नं. 358, पेज नं. 18, क्रमांक 8718 एवं अतिरिक्त बही नं. 1, खण्ड नं. 1416, क्रमांक 18, पेज नं. 214–219 दिनांक 10.10.2002 को राजेश चंद के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं – उत्तर में ग्रीन बैल्ट, दक्षिण में मुख्य सेक्टर रोड, पूरब में पहुंच रोड, पश्चिम में सड़क।
3. बंधक अचल सम्पत्ति (दुकान) के सभी भाग व हिस्से जो कि स्टेशन रोड, जी बी मोदी स्कूल के सामने, झुनझुनु में स्थित है। क्षेत्रफल 43.4 वर्ग यार्डस। सम्पत्ति उप निबन्धक झुनझुनु के कार्यालय में पुस्तक नं. 01, जिल्द नं. 118 पेज नं. 146, क्रमांक 754 एवं अतिरिक्त पुस्तक नं. 1, जिल्द नं. 183, पेज 62–66, दिनांक 17.09.1997 को सुधीर सिंह एवं निर्मल कुमार सिंह के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं – उत्तर में दरवाजा, दक्षिण में दरवाजा आत्मा राम टिब्डा का, पूरब में मकान मेरे खुद का, पश्चिम में सड़क नं. 1.
4. बंधक अचल रिहायशी सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि फ्लैट नं. बी 07, अपोलो ग्रुप हाउजिंग स्कीम,सेक्टर –03, विद्याधर नगर, जयपुर में स्थित है। सम्पत्ति अति. कलेक्टर के कार्यालय में समझौते के लेख दिनांक 17.03.1993 के द्वारा फाईल नं. अण्डर 56 सी 55/98 में जजमेंट दिनांक 15.07.1999 जो कि डी नं. 3951 दिनांक 10.08.2004 के द्वारा श्रीमती सरिता देवी पत्नी प्रताप सिंह के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं–उत्तर में लेन, दक्षिण में फ्लैट नं. बी–8, पूरब में लेन, दक्षिण में लेन एवं कोरिडोर।
5. बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि प्लॉट नं. बी–59, बसंत विहार, झुनझुनु में स्थित है। क्षेत्रफल 111 वर्ग यार्डस। सम्पत्ति उप निबन्धक झुनझुनु के कार्यालय में पुस्तक नं. 01, जिल्द नं. 140, पेज नं. 26, क्रमांक 1107 एवं अतिरिक्त पुस्तक नं. 1, जिल्द नं. 269, पेज नं. 139–44 दिनांक 30.09.2000 को सुधीर सिंह पुत्र देव करण सिंह के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं – उत्तर में बी–66, दक्षिण में रोड, पूरब में बी–60, पश्चिम में बी–58
6. बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि प्लॉट नं. ए–171, सालीग्रामपुरा, जयपुर में स्थित है। क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर। सम्पत्ति जेडीए के द्वारा जारी नीलामी पुष्टीकरण या डिमाण्ड लेटर नं. डी–2127 दिनांक 01.09.2006 के द्वारा राजेन्द्र कुमार पुत्र नौरांग राम के नाम पर दर्ज है। सम्पत्ति उप निबन्धक जयपुर–01 के कार्यालय में पुस्तक नं. 01, जिल्द नं. 418, पेज नं. 31, क्रमांक 200705100 4132 एवं अतिरिक्त पुस्तक नं. 1, जिल्द नं. 1666, पेज 409–430 दिनांक 29.05.2007 को दर्ज है। सीमाऐं – उत्तर में प्लॉट नं. ए–170, दक्षिण में प्लॉट नं. ए–172, पूरब में प्लॉट नं. ए–144 एवं ए–143, पश्चिम में सड़क।
7. बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि डी–33, इन्द्रा नगर, झुनझुनु में स्थित है। क्षेत्रफल 311 वर्ग यार्ड। सम्पत्ति उप निबन्धक झुनझुनु के कार्यालय में पुस्तक नं. 01, जिल्द नं. 163, पेज नं. 80, क्रमांक 790 एवं अतिरिक्त पुस्तक नं. 1, जिल्द नं. 355, पेज नं. 316 से 326 दिनांक 10.07.2003 को सुनील कुमार के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं – उत्तर में डी–32, दक्षिण में डी–34, पूरब में 60 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम में डी–43

(4) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. संतोष कंवर पत्नी नथू सिंह, प्लॉट नं. 67, तिरूपति विहार–बी, मछेडा, लोहा मण्डी रोड, जयपुर – 302013 दुसरा पता – (i) प्लॉट नं. 124, केएच. नं. 1093, अकेडा डूंगार, सरकारी स्कूल के सामने, विश्वकर्मा, जयपुर (ii) प्लॉट नं. 124, अमानीशाह नाला, रिहैब्लेशन स्कीम रोड नं. 17, अकेडा डूंगर, जयपुर – 302013 (iii) श्री जीन माता इण्टरप्राईजेज, वीकेआई एरिया, लक्ष्मी नारायणपुरा, अखेपुरा, जयपुर–302013
2. अनीता कंवर पुत्री नथू सिंह, नि0 श्री जीन माता इण्टरप्राईजेज, वीकेआई एरिया, लक्ष्मी नारायणपुरा, जयपुर–302013 (i) प्लॉट नं. 67, तिरूपति विहार–बी, मछेडा, लोहा मण्डी रोड, जयपुर – 302013 (ii) प्लॉट नं. 124, अमानीशाह नाला, रिहैब्लेशन स्कीम रोड नं. 17, अकेडा डूंगर, जयपुर – 302013
3. लक्ष्मण चौधरी पुत्र बाबू लाल चौधरी (जमानती), नि0 लक्ष्मीनारायणपुरा अखेपुरा, जयपुर, राजस्थान–302013

(डिमान्ड नोटिस दिनांक 21.07.2023 को रु. 11,13,123.75 (रुपये ग्यारह लाख तेरह हजार एक सौ तेईस एवं पैसे पिचहत्तर मात्र दिनांक 21.07.2023 तक) दिनांक 22.07.2023 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे जारी किया जा चुका है। घटाये वसूली रू. 10000/– जो कि दिनांक 19.08.2023 को जमा हुऐ थे।

कब्जे की तिथि : 08.11.2023

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल रिहायशी सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खसरा नं. 1093, प्लॉट नं. 124, अकेडा दुंगर, सरकारी स्कूल के सामने, विश्वकर्मा, जयपुर–302013 में स्थित है। क्षेत्रफल 50.00 वर्ग मीटर। सम्पत्ति उप निबन्धक–।। जयपुर के कार्यालय में बही नं. 01, जिल्द नं. 1125, पेज नं. 66, क्रमांक 201703016114030 एवं अतिरिक्त बही नं. 01, जिल्द नं. 4486, पेज नं. 308–321 दिनांक 19.12.2017 को संतोष कंवर पत्नी नथू सिंह के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं (सेल डीड दिनांक 19.12.2017 के अनुसार)–उत्तर में प्लॉट नं. 123, दक्षिण में प्लॉट नं. 125, पूरब में प्लॉट नं. 113, पश्चिम में 6 मीटर चौड़ी सड़क।

(5) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. मैसर्स एम.एस. इण्टरप्राईजेज (कर्जदार), द्वारा प्रोपराईटर महेन्द्र कुमार जैमिनी पुत्र जगन लाल जैमिनी, नि0 36 गुलाब विहार, गांधी पाथ पश्चिम, वैशाली नगर, पंचायावाला, जयपुर–302034
2. महेन्द्र कुमार जैमिनी पुत्र जगन लाल जैमिनी (कर्जदार), नि0 36 गुलाब विहार,गांधी पाथ पश्चिम, वैशाली नगर पंचायावाला, जयपुर–302034 3. सुनील कुमार पुत्र देव करण सिंह (जमानती), नि0 सी–5, अपोलो अपार्टमेंट नैशनल हैण्डलूम, विद्याधर नगर, जयपुर। 4. नागेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब राम चौधरी (जमानती), नि0 बी 15, गंगा नगर बी, वैशाली नगर पुलिस स्टेशन के पास, वैशाली नगर, जयपुर–302021

(डिमान्ड नोटिस दिनांक 23.01.2023 को रु. 48,17,383.00 (रुपये अड़तालिस लाख सतरह हजार तीन सौ तिरासी मात्र दिनांक 22.01.2023 तक) दिनांक 23.01.2023 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे जारी किया जा चुका है। घटाये वसूली, यदि कोई हो। कब्जे की तिथि : 07.11.2023

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल रिहायशी सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि प्लॉट नं. डी–33, इन्द्रा नगर, झुनझुनु, राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 311 वर्ग यार्डस। सम्पत्ति उप निबन्धक झुनझुनु के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 163, पेज नं. 80, क्रमांक 790 दिनांक 10.07.2003 एवं प्रतिलिपि जो कि अतिरिक्त बही नं. 1, जिल्द नं. 335, पेज नं. 316 से 326 दिनांक 10.07.2003 को सुनील कुमार के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं – पूरब में 60 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में प्लॉट नं. डी–43, उत्तर में प्लॉट नं. डी–32, दक्षिण में प्लॉट नं. डी–34

स्थान : जयपुर, राजस्थान दिनांक : 11.11.2023 **प्राधिकृत अधिकारी**

एसपीएल इंडस्ट्रीज लि.

पंजीकृत कार्यालयः 202, दूसरा तल, विक्रमादित्य टॉवर, अलकनंदा, कालकाजी, नई दिल्ली–110019
ईमेलः cs@spllimited.com I CIN : L74899DL1991PLC062744

प्रबंधक सूचीयन विभाग, एनएसई/बीएसई

30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(₹ लाखों में)

विवरण	30.09.2023 को समाप्त तिमाही	30.09.2022 को समाप्त तिमाही	30.06.2023 को समाप्त तिमाही	30.09.2023 को समाप्त छमाही	30.09.2022 को समाप्त छमाही	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	4,467.93	8,945.45	6,003.86	10,471.79	17,744.81	29,836.57
साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों और कर से पूर्व)	315.52	1,121.66	463.35	778.86	2,100.45	3,291.78
कर पूर्व साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	315.52	1,121.66	463.35	778.86	2,100.45	3,205.99
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	230.96	849.16	333.54	564.50	1,554.40	2,383.59
कुल समग्र आय (कर पश्चात लाभ/(हानि) और कर के बाद अन्य समग्र आय शमिल)	230.96	849.16	333.54	564.50	1,554.40	2,398.25
इक्विटी शेयर पूंजी	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
आरक्षित निधि (पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)						
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों और कर से पूर्व) (₹10/– प्रत्येक) बेसिकः डायल्यूटेडः	 1.09 1.09	 3.87 3.87	 1.60 1.60	 2.69 2.69	 7.24 7.24	 11.35 11.35
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों और कर के बाद) (₹10/– प्रत्येक) बेसिकः डायल्यूटेडः:	 0.80 0.80	 2.93 2.93	 1.15 1.15	 1.95 1.95	 5.36 5.36	 8.27 8.27

नोट :

1. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 10 नवंबर, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही/छमाही के परिणामों की समीक्षा की है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत यथानिर्धारित, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) और लागू सीमा तक मान्य लेखाकरण कार्यप्रणाली और सिद्धांतों के अनुपालन में यह विवरण तैयार किया गया है।
3. निदेशक मंडल की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 नवंबर, 2023 को आयोजित हुई और उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए।
4. इंड एएस 108 ''प्रचालन खंड'' के अनुसार कंपनी ने एकल वित्तीय परिणामों की पार्टी की रूप में केवल खंड सूचना प्रकट की है।
5. 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी कंपनी ने इंड–एएस 115– ग्राहकों से अनुबंधों से राजस्व को अपनाया। इंड–एएस 115 अपनाने का प्रभाव वित्तीय परिणामों पर नगण्य है।
6. 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कंपनी ने इंड–एएस 116– लीज को अपनाया। इंड–एएस 116 अपनाने का प्रभाव वित्तीय परिणामों पर नगण्य है।
7. 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही/छमाही के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
8. पूर्व वर्ष/अवधियों के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

स्थान : फरीदाबाद
दिनांकः 10.11.2023

हस्ता./–
मुकेश कुमार अग्रवाल
(प्रबंध निदेशक)

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मांग सूचना

पंजाकृत कार्यालय : 6टा तल, प्लॉट–15, सेक्टर–44, औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव, हरियाणा–122002, **शाखा कार्यालय :** डब्लयू जेड–112, दुसरा तल, मिनाक्षी गार्डन, तिलक नगर, सुभाष नगर मैट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली–110018, **शाखा कार्यालय :** बी–3/10, डीकेय टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, **शाखा कार्यालय :** 59, डी1/डी2, सिविल लाईन, दूसरा तल, बाटा शोरूम के उपर, रूद्रपुर–263153, **शाखा कार्यालय :** प्रथम तल, एससीएफ 12 मुख्य बाजार, सेक्टर 14, सोनिपत–131001

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता जिन्हों ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएसएफसीएल) से ऋण लिया है, वे आईएसएफसील को अपने ऋण की समान मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं कि उनके ऋण खाते को नैशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ता(ओं) ने आईएसएफसीएल को अचल संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे वर्णित है। ऋण का विवरण और आज की दिनांक में उधारकर्ता/ओं आईएसएफसीएल द्वारा बकाया और देय राशियों का ब्योरा भी नीचे दर्शाया गया है। उधारकर्ताओं के साथ–साथ आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी आईएसएफसीएल का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रत्याभूत ऋणदाता ने वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और इस अधिनियम के तहत सूचना जारी की है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम पर इंगित बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा (4) के तहत प्रत्याभूत ऋणदाता को प्रदत्त शक्तियों में से किसी एक या अधिक का उपयोग करेगा, जिनमें कब्जा लेने और उसे बेचने का अधिकार भी शामिल है। आम तौर पर जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्तियों से लेन न करो।

उधारकर्ता(ओं)/गारंटर/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि के नाम, ऋण खाता सं.	एनपीए दिनांक/मांग सूचना	मांग सूचना दिनांक और राशि	प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं) का विवरण (अचल संपत्तियां)
प्रीति और मोहित **ऋण खाता सं.** LA11CHLONS000005036962	10 अक्टूबर, 2023 और 14 अक्टूबर, 2023	रु. 26,66,155/– (रुपये छब्बीस लाख छियासठ हजार एक सौ पचपन मात्र) 12.10.2023 को बकाया संग 13.10.2023 से ब्याज और अन्य प्रभारो और लागतों, भुगतान की दिनांक तक	संपत्ति धारक खाता सं. 00139, खेत सं. 237मीन, ग्राम रौनी, कासना या सिकंदराबाद रोड, परगना दानकौर, पोस्ट बिलासपुर, ग्रेटर नोएडा, तहसील और जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–203131 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : पूर्व : 18 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम : विक्रेता का प्लॉट, उत्तर : विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण : विक्रेता का प्लॉट
उमा यादव और अखिलेश कुमार **ऋण खाता सं.** HL11CHLONS000005055168	05 अक्टूबर, 2023 और 14 अक्टूबर, 2023	रु. 4,40,216/– (रुपये चार लाख चालीस हजार दो सौ सोलाह मात्र) 12.10.2023 को बकाया संग 13.10.2023 से ब्याज और अन्य प्रभारो और लागतों, भुगतान की दिनांक तक	संपत्ति धारक प्लॉट सं. 120 और 119, गाता सं. 2143 मीन ग्राम भोली माहोना लखनऊ, उ.प्र.–226013 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : 22 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर : प्लॉट सं. 120 का भाग(सरला यादव), दक्षिण : प्लॉट सं. 119 का भाग
राजेंद्री और बबलू नागर **ऋण खाता सं.** **LA11VLLONS000005067402**	05 अक्टूबर, 2023 और 14 अक्टूबर, 2023	रु. 10,11,636/– (रुपये दस लाख ग्यारह हजार छह सौ छत्तीस मात्र) 12.10.2023 को बकाया संग 13.10.2023 से ब्याज और अन्य प्रभारो और लागतों, भुगतान की दिनांक तक	संपत्ति धारक खेवत खाता सं. 1040, खतौनी सं.1514 एमयू सं. 18 किल्ला सं. 12/2(2–7), 22(7–8), एमयू सं. 23 किल्ला सं. 1(8–0) 2(8–0)9/(8–0)11/1(6–15)11/2(0–1)12 (8–0)13/1(1–0) खसरासं. 409(0–9) खतौनी सं. 515 खसरा सं. 408(0–10) खतौनी सं. 1516 एमयू सं. 23 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : पूर्व : 22 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम : श्यामी का मकान, उत्तर : तेशराम का मकान, दक्षिण : बबलू का मकान
आसिया खान और शाहनवाज खान **ऋण खाता सं.** HL26CHLONS000005007484	05 अक्टूबर, 2023 और 14 अक्टूबर, 2023	रु. 6,94,431/– (रुपये छह लाख चौरानबे हजार चार सौ इकत्तीस मात्र) 12.10.2023 को बकाया संग 13.10.2023 से ब्याज और अन्य प्रभारो और लागतों, भुगतान की दिनांक तक	संपत्ति धारक प्लॉट खसारा सं. 49/2 पर, ग्राम नवाबखेड़ा, हल्द्वानी नैनीताल उत्तरखण्ड 263139 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : पूर्व : अन्य संपत्ति, पश्चिम : इसरार की संपत्ति, उत्तर : 17 फुट रास्ता, दक्षिण : 10 फुट रास्ता
वंदना और जगमेंदर सिंह **ऋण खाता सं.** HL11CHLONS000005042066	05 अक्टूबर, 2023 और 14 अक्टूबर, 2023	रु. 8,34,167/– (रुपये आठ लाख चौतीस हजार एक सौ सड़सठ मात्र) 12.10.2023 को बकाया संग 13.10.2023 से ब्याज और अन्य प्रभारो और लागतों, भुगतान की दिनांक तक	संपत्ति धारक प्लॉट 100 वर्ग गज यानी 3.5 मरला यानी 0के–0.5 मरला यानी 3/632 हिस्सा 31के–12 एम खेवत सं. 3753 का, खाता सं. 4152 और खेवत सं. 3867, खाता सं. 4274 नगर पालिका गोहाना से बाहर, गोहाना जिला, सोनिपत, सोनिपत 131301 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : गली
शालू और कपिल नागर **ऋण खाता सं.** LA11VLLONS000005061006	05 अक्टूबर, 2023 और 14 अक्टूबर, 2023	रु.10,00,546/– (रुपये दस लाख पांच सौ छियालीस मात्र) 12.10.2023 को बकाया संग 13.10.2023 से ब्याज और अन्य प्रभारो और लागतों, भुगतान की दिनांक तक	संपत्ति धारक वाका मौजा टीगांव तहसील टीगांर जिला फरीदाबाद खेवत सं. 812 खतौनी सं. 1207 एमयू सं. 23//किला सं. 23/2(0–10) एमयू सं. 35//किला सं. 1/2(0–2), 5(5–13), 26(1–15) का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : पूर्व : शेर सिंह का प्लॉट, पश्चिम : सड़क, उत्तर : शेर सिंह का प्लॉट, दक्षिण : डेयरी

स्थान : नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और हरियाणा
दिनांक : 11.11.2023

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(प्राधिकृत अधिकारी)

6286
31/10/23

फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

Court Notice by bank	02.11.2023
Spot Notice by bank:	09.11.2023
Date of inspection:	06.12.2023
Date of Auction	11.12.2023
Report Date	19.12.2023

आर.सी. संख्याः 701/2019 आगामी तिथि- 19.12.2023
प्रकरण का उनवानः

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड बनाम जगदम्बा स्टोन सप्लायर्स

विक्रय की उद्घोषणा

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण, पहली मंजिल, सुधरमा-2, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर, किसान भवन के सामने, जयपुर (राजस्थान)
(न्यायालय क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ने **13,87,558.20** रूपये (अक्षरे रूपये तेरह लाख सत्यासी हजार पाँच सौ अठावन एवं बीस पैसे मात्र) एवं ब्याज हर्जा, शुल्क इत्यादि के निर्णित ऋणीगण से वसूली हेतु ओ. ए. नंबर 335/2017 दिनांकित 08.08.2019 में वसूली प्रमाण पत्र संख्या 701/2019 जारी किया गया है। एवं यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बंधक सम्पत्ति को जैसा कि संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए विक्रय का आदेश पारित किया है। एवं यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 28.02.2021 तक ब्याज एवं खर्चे सहित कुल 19,09,340.99 रूपये (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख नौ हजार तीन सौ चालीस एवं निन्यानवे पैसे मात्र) एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते है।

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति नीलामीकर्ता अधिवक्ता श्री कार्तिक शर्मा (मो. 9929166717) द्वारा दिनांक 11.12.2023 को विक्रय की जायेगी।

अन्य जानकारी के लिए नीलामीकर्ता अधिवक्ता श्री कार्तिक शर्मा (मो. 9929166717) से संपर्क करना होगा।

यह कि उपरोक्त व्यतिक्रमी की सम्पत्ति का विक्रय जिसका नाम नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, का होगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं क्लेम जो अभिनिश्चित किए गए है, वो प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति 'जैसी है, जहां है एवं जैसी स्थिति में है' के आधार पर विक्रय की जायेगी।

सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जायेगा सम्पत्ति के संदर्भ में विक्रय तुरंत रोक दिया जावेगा यदि किसी भी लॉट का विक्रय शुरू करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को सौंपी जाती है या उसकी संतुष्टि हेतु प्रमाण पत्र दिया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व लागतों का भुगतान अधोहस्ताक्षरकर्ता को कर दिया गया है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

विक्रय में सामान्यतया आम जनता को स्वयं अथवा उसके किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस संपत्ति के विक्रय में, बोली में अथवा अधिग्रहण में या अधिग्रहण के प्रयास में हिस्सा नहीं लेगा।

यह विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं निम्नलिखित अन्य शर्तों की अध्यधीन होगा–
1. संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट ब्यौरा अधोहस्ताक्षरकर्ता की श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार लिखे गये है। लेकिन अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा के किसी भी गलत कथन, त्रुटि एवं चूक के लिये जवाब देह नहीं होगा। 2. सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रू. **4.50 लाख (अक्षरे रूपये चार लाख पचास हजार मात्र)** होगा जिससे कम में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी। 3. वह राशि जिसके द्वारा बोली को बढाना है, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी। बोली की राशि का बोलीदाता के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त दुबारा नीलामी के लिए रख दिया जावेगा। 4. बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का वसूली अधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा एवं पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, पते का सबूत एवं प्राधिकार पत्र, यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से नीलामी में भाग ले रहे है, प्रस्तुत करने होंगे। 5. अगर उच्चतम बोलीदाता विधिक रूप से बोली लगाने के योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित दर से कम नहीं है तो उसे क्रेता घोषित कर दिया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जब ऐसा लगता है कि मूल्य स्पष्ट रूप से सभी खर्चों की क्षतिपूर्ति के लिए अपर्याप्त है तो उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करना उसके विवेकाधीन होगा। 6. लिखित कारणों से विक्रय करने वाले अधिकारी को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगिन करने का अधिकार होगा। 7. चल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की संपूर्ण राशि उस अधिकारी के पास जो विक्रय का संचालन कर रहा है, जमा करानी होगी और उक्त राशि जमा कराने में व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी। 8. अचल सम्पत्ति के मामले में वह व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, ऐसी घोषणा होने के तुरंत बाद उसकी बोली की 25 प्रतिशत उस अधिकारी के पास जो विक्रय को संचालन कर रहा है, जमा कराना होगी और उक्त राशि जमा कराने के व्यतिक्रम करने पर उक्त सम्पत्ति पुनः विक्रय के लिए रखकर विक्रय की जावेगी एवं नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि से 15 दिवस के भीतर क्रेता द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जमा करानी होगी जिसमें नीलामी का दिन या 15वा दिन सम्मिलित नहीं होगा। उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना होने पर, उक्त संपत्ति का पुनः विक्रय नई उदघोषणा जारी करके किया जायेगा। उस स्थिति में व्यतिक्रमी के द्वारा जमा राशि को अद्योहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता हो तो विक्रय के खर्चे समायोजित किए जाने के पश्चात् जप्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति के संबंध में या राशि के किसी भाग के संबंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे सफल बोलीदाता को प्रथम एक हजार रूपये पर 02 प्रतिशत एवं उसके बाद शेष राशि पर 01 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान करना होगा।

सम्पत्ति का विवरण

लॉट की संख्या	अन्य सहमालिको का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह– मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1	2	3	4	5
1	"Plot No. 146 & 147, Punarwas Colony, Village Deoli, Tehsil Deoli, District - Tonk"	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञान नहीं

सील मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 31/10/2023 को जारी किया गया।

वसूली अधिकारी -।
ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर

ख़बरें जो बढ़ाए आपकी तरक्की की रफ़्तार

पहला पन्ना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार के नाम
देश और आपके प्रदेश की सबसे बड़ी बिज़नेस ख़बरें

शेयरों और क्षेत्रीय मंडियों के भाव
प्रमुख शेयरों और विभिन्न राज्यों की मंडियों के जिंस भाव

कंपनी और जिंस समाचार
कंपनियों, स्टार्ट-अप और जिंस मार्केट पर नज़र, सोमवार से शनिवार

विविध समाचार
राजनीतिक और आर्थिक समाचार

आयाम
मनोरंजन, स्वास्थ्य, ब्रांड, खेल, टेक्नोलॉजी और व्यक्तित्व की बातें

व्यापार गोष्ठी
हर सोमवार एक आर्थिक या सामाजिक मुद्दे पर पाठकों और विशेषज्ञों की राय

अन्य साप्ताहिक पृष्ठ
हर सोमवार, 'स्मार्ट इन्वेस्टर' और आपका निवेश

अपनी प्रति के लिए

SMS **reachbs** to **57575** or email us at **order@bsmail.in**

बिज़नेस स्टैंडर्ड
बेहतर बिज़नेस वो, जो आपकी भाषा में हो

businessstandardhindi bshindi hindi.business-standard.com